

#### अमाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1331] No. 1331] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2014/आषाढ़ 4, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2014/ASADHA 4, 1936

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2014

का.आ. 1598(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिसका केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा:-

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: satish.garkoti@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

2589 GI/2014 (1)

### प्रारूप अधिसूचना

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) मद 1(ग) में स्तंभ (2), स्तंभ (3), स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"1(ग)	(iii) बृहत पेयजल	(iii) <u>&gt;</u> 5,000	(iii) < 5,000	साधारण शर्त लागू होगी
	आपूर्ति परियोजना	जलमग्न क्षेत्र	जलमग्न क्षेत्र	
	जैसी गैर सिंचाई			
	परियोजनाएं ।			

- (ii) ईंधन के रूप में गैर परिसंकटमय नगर पालिक ठोस अपशिष्ट पर आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से संबंधित मद 1(घ) में स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
  - (i) स्तंभ (3).-
  - "<u>></u> 15 मे.वा."
  - (ii) स्तंभ (4).-
  - "< 15 मे.वा."

[फा. सं. जे- 11013/12/2013-आईए.II(1)(भाग)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 और का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित किए गए।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2014

**S.O.** 1598(E).—The following draft of the notification, further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006 which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- satish.garkoti@nic.in.

#### **Draft Notification**

#### In the said notification, in the Schedule.-

(i) in item 1(c), after the entries in columns (2), (3), (4) and (5), the following inserted, namely:-

1(c)	"(iii) Non –Irrigation	(iii)≥ 5,000 ha	(iii)< 5,000 ha	General Condition shall
	projects such as large	submergence area	submergence of area	apply.";
	drinking water supply			
	projects.			

- (ii) in, item 1(d), for the entries in column (3) and column (4), relating to thermal power plants based on non-hazardous municipal solid waste as fuel, the following entries shall be substituted, namely.-
  - (i) In column(3)."≥ 15MW"
  - (ii) In column(4).-"< 15MW"

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (1) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O.695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012, S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 and S.O.637(E) dated the 28th February, 2014.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2014

का.आ. 1599(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

I. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) मद 1(ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1(ग)	(i) नदी घाटी	(i) <u>&gt;</u> 50 मे.वा. जल	(i) < 50 <u>&gt;</u> 25 मे.वा.	साधारण शर्त लागू होगी
	परियोजनाएं	विद्युत उत्पादन	जल विद्युत उत्पादन	
	(ii) सिंचाई	(ii) > 10,000	(ii) < 10,000	टिप्पण :- एक से अधिक
	परियोजनाएं		2000 हे0 खेती योग्य	राज्य में आने वाली प्रर्वग
		क्षेत्र	प्रभावित क्षेत्र	' <b>ख'</b> नदी घाटी
		41.1	אפוווישער שויז	परियोजनाओं का
				मूल्यांकन केन्द्रीय सरकार
				स्तर पर किया जाएगा
				1";

(ii) मद 1(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1(घ) तापीय विद्युत <u>&gt;</u> 500 मे.वा. <u>&gt;</u> 50 मे.वा. से < 500 साधारण शर्त लागू र संयंत्र (कोयला/लिग्नाइट/नेप्था मे.वा. और गैस आधारित) ; (कोयला/लिग्नाइट/नेप्था टिप्पण :- (i) द्रव्यमान गैरपरिसंकटमय	
और गैस आधारित) ; (कोयला/लिग्नाइट/नेप्था दिप्पण :- (i) द्रव्यमान	
जार गर्स जावारित)	या
-1(नार्यान/८०1न	
≥ 50 मे.वा. (जैव < 50 मे.वा. और ≥ 5 नगरपालिक ठोस अ	गशिष्ट
द्रव्यमान के सिवाय सभी मे.वा.(जैव द्रव्यमान और जिसमें	ोयला,
अन्य ईंधन) । गैरपरिसंकटमय नगरपालिक लिग्नाइट/पेट्रोलियम	
ठोस अपशिष्ट के सिवाय उत्पाद पेट्रोलियम	उत्पाद
सभी अन्य ईंधन) । जैसे सहायक ईंध	न का
उपयोग होता है	पर
< 20 मे.वा. > 15 मे.वा. अधारित 15 मे.वा.	ाक के
ट 20 मे.वा. (जिसमें (जिसमें गैरपरिसंकटमय तापीय विद्युत संयं	ों को
गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट छूट प्राप्त है ।	
नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का ईंधन के रूप में उपयोग	
का ईंधन के रूप में होता है) । (ii) किसी सहायक	ईंधन
उपयोग होता है) । 👱 १५ मे.वा. जैव द्रव्यमान के बगैर अपशिष्ट	ताप
पर आधारित संयंत्र बायलरों का उपयोग	करने
वाले तापीय विद्युत	संयंत्र
छ्ट प्राप्त हैं ।";	

(iii) मद 2(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"2(ख)	खनिज सज्जीकरण	<u>&gt;</u> 0.5 मिलियन टी	> 0.5 मिलियन टी	साधारण शर्त लागू होगी
		पी ए का उत्पादन	पी ए का उत्पादन	(अनापत्ति प्रदान करने के लिए
				खनन प्रस्ताव का खनिज
				सज्जीकरण के साथ मूल्यांकन
				किया जाएगा) ।";

(iv) मद 4(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4(ख)	(i) कोक भट्टी संयंत्र	<u>&gt;</u> 2,50,000	< 2,50,000 और	साधारण शर्त लागू होगी ।";
		टन/प्रतिवर्ष	<u>&gt;</u> 2,50,000टन/प्रतिवर्ष	
	(ii) कोलतार प्रसंस्करण			
	इकाईयां	-	सभी परियोजनाएं	

(v) मद 4(घ) के स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"उत्पादन क्षमता <u>></u> 300 यदि कोई इकाई अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित है।":

(vi) मद 4(च) के स्तंभ (2) में, की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"त्वचा/खाल प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत चर्म शोधन उद्योग भी है ।":

(vii) मद 5(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(क)	रासायनिक	रासायनिक उर्वरकों के दानों	H₂SO₄ उत्पादन और	साधारण शर्त लागू होगी
	उर्वरक	के सिवाय सभी	रासायनिक दानों के बगैर	सुपर फॉसफेट पाउडर के
		परियोजनाएं जिसके अंतर्गत	सभी एकल सुपर फोसफेट	दाने बनाने को छूट दी
		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> उत्पादन के साथ	परियोजनाएं	गई है ।";
		सभी एकल सुपर फोसफेट		
		परियोजनाएं भी हैं ।		
	"5(क)	• •	उर्वरक के सिवाय सभी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत $H_2SO_4$ उत्पादन के साथ सभी एकल सुपर फोसफेट	उर्वरक के सिवाय सभी रासायनिक दानों के बगैर परियोजनाएं जिसके अंतर्गत H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> उत्पादन के साथ सभी एकल सुपर फोसफेट

(viii) मद 5(ड़) में :-

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टी के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"पैट्रोलियम उत्पाद और पैट्रो रसायन आधारित कार्बन ब्लैक तथा इलेक्ट्रोड ग्रेड ग्रेफाइट के उत्पादन का प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसरों के भीतर समाविष्ट नहीं है)।";

(ख) स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"साधारण और विर्निदिष्ट शर्त लागू होगी । टिप्पण—बह्लक दानों से उत्पादों के विर्निमाण को छूट प्राप्त होगी ।"; (ix) मद 5(च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(च)	संश्लिष्ट कार्बनिक	स्तंभ (5) में	(i) अधिसूचित औद्योगिक	साधारण और विनिर्दिष्ट
	रसायन उद्योग	यथापरिभाषित लघु	क्षेत्र/संपदा के बाहर	शर्त लागू होगी
	(रंजक और रंजक	इकाईयों के सिवाय	अवस्थित ।	लघु इकाइयां :
	मध्यक ; थोक	अधिसूचित औद्योगिक	(ii) स्तंभ (5) में	3
	ओषधि और ओषधि		, .	खपत, < 25टीपीडी ईंधन
	विर्निमितियों को	अवस्थित ।	इकाइयां ।	खपत के साथ और जो
	छोड़कर मध्यक ;			परिसंकटमय रसायन का
	संश्लिष्ट रबर मूल			प्रबंधन, भंडारण और
	कार्बनिक रसायन			आयात नियम, 1989 के
	और अन्य संश्लिष्ट			अनुसार एमएएच इकाइयों
	कार्बनिक रसायन			के प्रवर्ग में नहीं आती
	मध्यक)			हैं ।";

(x) मद 5(छ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(छ)	आसवनी	(i) सभी शीरा	आधारित	गैर शीरा आधारित	आसवनी-	साधारण	शर्त	लागू
		आसवनी ।		< 60 कि.ली.दैनिक		होगी ।";		
		(ii) गैर शीरा आसवनी ≥ कि.ली.दैनिक	आधारित 60					
		_	60					

(xi) मद 5(झ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(鉙)	लुग्दी और	लुग्दी विनिर्माण तथा	अपशिष्ट कागज से लुग्दी	साधारण शर्त लागू होगी
	कागज़ उद्योग	अपशिष्ट कागज से	विनिर्माण तथा अपशिष्ट	टिप्पण : रंजन, विरंजन और
		विनिर्माण के सिवाय	कागज लुग्दी और अन्य	रंगाई के बगैर अपशिष्ट कागज
		लुग्दा तथा का कागज	तयार लुग्दा स कागज	लुग्दी और तैयार लुग्दी से कागज
		विनिर्माण उद्योग ।	विनिर्माण ।	विनिर्माण को छ्ट प्राप्त है ।";

II. अनुसूची के पश्चात्, साधारण शर्त से संबंधित टिप्पण में निम्नलिखित साधारण शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

"साधारण शर्त (सा.श.):

प्रवर्ग 'ख' विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप का केन्द्रीय स्तर पर प्रवंग 'क ' के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा, यदि वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से : (i) वन्य जीव संरक्षण

अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन संरक्षित क्षेत्रों की ; (ii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर पहचान किए गए गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की ; (iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितकी संवेदनशील क्षेत्रों की और (iv) अंतर राज्यिक सीमाओं और अंतराष्ट्रीय सीमाओं से पांच किलोमीटर की सीमाओं के भीतर अवस्थित है ;

परंतु 1(ग) में विनिर्दिष्ट नदी घाटी परियोजनाएं, मद 1(घ) में विनिर्दिष्ट तापीय विद्युत संयंत्र, मद 7(ग) विनिर्दिष्ट औद्योगिक संपदा/पार्क/क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण जोन, विशेष आर्थिक जोन, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, चमड़ा परिसर और मद 7(घ) में विनिर्दिष्ट समान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय स्तर पर किया जाएगा यदि वह 10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित है।

परंतु यह और कि उपरोक्त मद (i), मद (ii) और मद (iii) में वर्णित क्षेत्रों की, यथास्थिति, पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर के भीतर कोई क्रियाकलाप न होने की दशा में अंतर राज्यिक सीमाओं की, यथास्थिति, पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर की दूरी से संबंधित अपेक्षा को क्रमशः सामान्य सीमाओं वाले राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की बीच करार द्वारा कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है।"

[फा. सं. जे- 11013/12/2013-आईए.II(1)(भाग)] अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 और का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी. 2014 द्वारा संशोधित किए गए।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2014

**S.O. 1599(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India , in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule, in public interest, namely:-

#### I. In the said notification, in the Schedule,-

(i) for item 1(c) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"1(c)	(i) River	(i) ≥ 50 MW	$(i) \le 50 \text{ MW} \ge 25$	General condition shall apply.
	Valley	hydroelectric power	hydroelectric power	Note:-
	projects	generation;	generation;	Category 'B' river valley projects
				falling in more than one state shall
				be appraised at the central
	(ii) Irrigation	$(ii) \ge 10,000 \text{ ha. of}$	(ii) < 10,000  ha. > 2000	Government Level";
	projects	culturable command	ha. of culturable	
		area.	command area.	

## (ii) for item 1(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500	MW	≥ 50MW to <500 MW	General condition shall
		(coal/lignite/napht	a	(coal/lignite/ naphta and	apply
		and gas based);		gas based);	
					Note:-
		≥ 50 MW (all	other	< 50 MW and ≥5MW	(i) Thermal Power
		fuels except biom	ass).	(all other fuels except	plants up to 15 MW based
				biomass and municipal	on biomass or non
				solid non hazardous	hazardous municipal solid
				waste).	waste using auxiliary fuel
					such as coal, lignite/
		≥ 20MW (1	using	< 20MW >15MW	petroleum products upto
		municipal solid	non	(using municipal solid	15% are exempt.
		hazardous waste	, as	non hazardous waste, as	
		fuel).		fuel).	(ii)Thermal power plants
		•			using waste heat boilers
				≥ 15 MW plants based	without any auxiliary fuel
				on biomass fuel.	are exempt.";

## (iii) for item 2(b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.5 million TPA	< 0.5 million	TPA	General cor	dition s	shall apply	y
		throughput	throughput		(Mining pr	oposal	with mir	neral
					beneficiatio	n shall	be appra	ised
					together	for	grant	of
					clearance)."	<b>'</b> ;		

## (iv) for Item 4(b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"4(b)	(i)Coke oven plants	≥2,50,000 tonnes/annum	<2,50,000 and	General condition shall
			≥25,000 tonnes/annum	apply.";
	(ii) Coaltar processing units	-	All projects	

- (v) in item 4(d), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
  - "≥300 TPD production capacity if a unit located outside the notified industrial area/ estate.";
- (vi) in item 4(f), in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:"Skin/hide processing including tanning industry.";
- (vii) for item 5(a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

"5(a)	Chemical	All p	rojects	All	Single	Super	General condition shall apply.
	fertilizers	including all	single	Phosph	nate	without	
		super pho	sphate	$H_2SO_4$	productio	n	Granulation of single super
		with	$H_2SO_4$	and	granulatio	on of	phosphate powder is exempt.";
		production	except	chemic	cal fertilize	ers.	
		granulation	of				
		chemical fertil	izers.				

#### (viii) **in item 5(e):-**

#### (a) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

- "Petroleum products and petrochemical based processing such as production of carbon black and electrode grade graphite (processes other than cracking and reformation and not covered under the complexes).";
- (b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

Note- Manufacturing of products from polymer granules is exempt.";

## (ix) for item 5(f) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"5(f)	Synthetic organic	Located outside the	(i) Located in a General as well as specific
	chemicals industry	notified industrial area/	notified industrial condition shall apply.
	(dyes and dye	estate except small units as	area/ estate.
	intermediates; bulk	defined in column (5).	Small units: with water
	drugs and intermediates		(ii) Small units as consumption <25m <sup>3</sup> /day, fuel
	excluding drug		defined in column (5). consumption <25TPD and
	formulations; synthetic		not covered in the category of
	rubbers; basic organic		MAH units as per the
	chemicals, other		Management, Storage and
	synthetic organic		Import of Hazardous
	chemicals and chemical		Chemical Rules, 1989.";
	intermediates)		

### (x) for item 5(g) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"5(g)	Distilleries	(i) All	Molasses	based	Non-molasses	based	General	condition	shall
		distilleri	es		distilleries –		apply.";		
		(ii) Non	-molasses	based	<60 KLD				
		distilleri	es ≥ 60KLD	)					

## (xi) for item 5(i) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"5(i)	Pulp and paper industry	Pulp manufacturing	Pulp manufacturing General condition shall apply
		and Pulp and Paper	from waste paper and Note:
		manufacturing	paper manufacturing Paper manufacturing from
		industry except	from waste paper pulp waste paper pulp and ready
		from waste paper.	and other ready pulp. pulp without deinking,
			bleaching and colouring is
			exempt.";

II. After the Schedule, in the Note relating to General Condition(GC), the following General Condition shall be substituted, namely:General Condition(GC):

<sup>&</sup>quot;General as well as specific condition shall apply.

Any project or activity specified in category 'B' will be appraised at the Central level as Category 'A', if located in whole or in part within 5 km. from the boundary of: (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial estates/parks/complexes/areas, export processing zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7(c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7(d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10km.

Provided further that the requirement regarding distance of 5 km or 10 km, as the case may be, of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or the Union Territories sharing the common boundary in case the activity does not fall within 5km or 10 km, as the case may be of the areas mentioned at item (i), (ii) and (iii) above."

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (1) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012, S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 and S.O. 637(E) dated the 28th February, 2014.